प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 616 /अका./सम्बद्धता/2021 रायपुर, दिनांक : 09/12/2021

।। आदेश ।।

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.12.2021 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.12.2021 के अनुमोदनानुसार, **विप्र कला,वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई.रोड, रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)** को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय के लिये सत्र 2021–22 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:–

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1	एम.कॉम. (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर)(नवीन कक्षा/विषय)	30	2021–22

शर्तें :–

01 महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर ने अपने पत्र क्रमांक एफ17–47/2021/38–2 दिनांक 08.09.2021 के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

02. प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।

03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।

04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।

05. इण्डोमेंट फण्ड की राशि कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की मूलप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेगें ।

06. समय–समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

07. निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

08. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति व परिनियम 28 के तहत् न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह में नियुक्त/पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें ।

09. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।

10. परिनियम–27 एवं 28 का पालन करें ।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी ।

आदेशानुसार

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 617/अका./सम्बद्धता/2021 रायपुर,दिनांक 09/12/2021

प्रतिलिपि :–

01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

02 संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।

03 संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।

04 संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।

05 स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।

06 अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,

07 कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

कक्ष अधिकारी (अका.)

भाग "ब"

भाग "अ" में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।
प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिन्दुवार प्रतिवेदन।

(प्रतिवेदन में अनशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिये शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।)

निरीक्षण आदेश कमांक : क्र 82/अका./2021, रायपुर दि. 24.09.2021

निरीक्षण की तिथी : 22.10.2021

प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण जिसके लिये सम्बद्धता चाही गई है:–

कक्षा	विषय	अपेक्षित सीट	सत्र	वर्तमान सत्र में प्रवेश की स्थिति
एम. कॉम. (नवीन विषय) 1st & 2nd Sem.	वाणिज्य के पाठ्यक्रमानुसार सभी विषय	30 सीट	2021-22	20 (बीस) प्रवेशित प्रवेश प्रक्रियाधीन है।

क्र.	विवरण	भाग "अ" में बिन्दु कमांक	पात्रता/कमियों का विवरण
1.	समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता	1(ii)	अप्रैल 2022 प्रतिवर्ष धारा 27-28 की जानकारी प्रस्तुत की गई
2.	समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि	1(iv)	07 एकड़ (अभिलेख संलग्न)
3.	इडोमेंट फण्ड में जमा की गई राशि	1(v)	₹ 3523802/-
4.	शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि	2(iii), 2(v)	जून 2024 तक
5.	महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं?	3(xii)	हाँ
6.	महाविद्यालय भवन में मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता	3(xiv)	50 कक्ष
7.	यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता	3(xvi)	N.A.
8.	प्रयोगशाला हेतु उपकरणों उपलब्धता	3(xvi)	N.A
9.	प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता	5(viii)	परिनियम 28 मे 04 सहा. प्राध्या. संविदा मे 04 सहा. प्राध्या. सूची संलग्न

10.	ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता	7(i). 7(vi)	ग्रंथपाल पदस्थ है, वाणिज्य विषय की 1803 पुस्तकें उपलब्ध एम.कॉम. हेतु लगभग 10000/- की पुस्तकें क्रय करने की आवश्यकता है।
11.	महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधायें	9	सभागार 2, क्रीडा मैदान E-ग्रंथालय Wify Campus Audio-Video System
12.	यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की सम्बद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है?		— N.A. —
13.	अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहे		— N.A. —
14.	कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।		नैक पुर्नमूल्यांकन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसे शीघ्र पूर्ण किये जाने की आवश्यकता है।

टीप: निरीक्षण संबंधी अभिलेख (छायाप्रति) संलग्न है।

निरीक्षण समिति के संयोजक का नाम एवं हस्ताक्षर 22.10.2021
(डॉ. तपेश चन्द्र गुप्ता)

निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर
1. डॉ. आर. डी. दीवान 22.10.21
2.
3.
4.
...
...
...

दिनांक 22.10.2021.

प्रति,

कुलसचिव
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)